29

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०

नि/निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा०/2017/4388

आज श्री ... द्वारा आज दि. 8-12-17 को प्रस्तुत

8-12-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे०दि० 3-1-18

Put up
MP Bhalugahel
8/12/17

1. दामोदर तनय हल्कू कुशवाहा निवासी ग्राम पठा तह. जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. नन्दराम तनय हल्कू कुशवाहा निवासी ग्राम पठा तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..आवेदक गण

बनाम

1. भगवानदास तनय घनश्याम दास कुशवाहा नि० पठा तह. वजिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. लक्ष्मन सिंह परिहार सचिव ग्राम पचायत पठा तह. जनपद पचायत टीकमगढ़ म.प्र.
3. अनिल कुमार सैन तत्कालीन प्रवाचक नायब तहसीलदार समर्रा हाल प्रवाचक तहसीलदार बड़ागावं धसान तह. जिला टीकमगढ़ म.प्र.
4. श्रीमान नायब तहसीलदार वृत समर्रा तह. जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..अनावेदकगण

नायब तहसीलदार वृत समर्रा के प्र०क्र०284/बी-121/15-16मे पारित आदेश दिनांक 4/10/2017 जिसमे कार्यवाही की अनीयमितता के कारण प्रकरण को निगरानी मे लेने बावत अंतर्गत धारा50 म०प्र० भू०रा०सं०1959

महोदय,

प्रकरण को निगरानी मे लेने के तथ्य निम्नानुसार है:

1. यहकि आवेदकगण द्वारा एकआवेदन अनावेदक क्र.4 के न्यायालय मे दिनांक 30/04/2016 को प्रस्तुत किया था कि अनावेदक क्र.1 ने अनावेदक क्र.2 एवं3 से सांठ गांठ करके नायब तहसीलदार की दायरा पंजी क्र. 740/बी-121/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 19/6/2014 को जन्म प्रमाणपत्र दिए जाने का आदेश पारित किया है परंतु अनावेदक क्र.3 की अधिकार क्षेत्र मे रखी फाईल को या तो गुम करा दिया या प्रकरण छिपा कर रख दिया गया है और अनावेदक क्र.1 ने अनावेदक क्र.2 से जन्म प्रमाणपत्र के स्थान पर श्यामलाल तनय पल्टू कुशवाहा निवासीपठा का मृत्यु प्रमाणपत्र गलत तरीख का जारी कराया जो ग्रामपचायत पठा के पृष्ठाकन क्र० 1 दिनांक 23/06/2014 के द्वारा जारी करालिया और अवैध मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार

नन्दराम दामोदर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / टीकमगढ / भू.रा / 2017 / 4988

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा के प्रकरण कमांक 284 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा के न्यायालय में दिनांक 30.4.16 को आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदक कमांक 1 ने अनावेदकं कमांक 2, 3 से सांठगांठ करके नायब तहसीलदार का दायरा पंजी कमांक 740 / बी–121 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.6.14 को जन्म प्रमाण पत्र दिये जाने का आदेश पारित किया है परंतु अनावेदक कमांक –3 की अधिकार क्षेत्र में रखी फाइल गुम करा दिया गया है, अनावेदक कमांक–1 ने अनावेदक कमांक–2 से जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर श्यामलाल तनय पल्टू कुशवाह निवासी पठा का मृत्यु प्रमाण पत्र गलत तरीख का जारी कराया जो ग्राम पंचायत पठा के पृष्ठ कमांक–1 दिनांक 23.6.14 के द्वारा जारी किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण	

में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट कि नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा के प्रकरण कमांक 284/बी–121/2015–16 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 4.10.17 में लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सबंधित शिकायत की जांच गतिशील है तथा वरिष्ठ न्यायालय में भी जांच चल रही है। नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा के प्रकरण कमांक 284/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4.10.17 किया गया है अंतिम प्रकृति का आदेश है। अंतिम प्रकृति के आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण सक्षम न्यायलय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जावे।

सदस्य